तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्ब अहव हुक्म
	07-02-2020:- आज यह पत्रावली पेश हुई। चूंकि मूलवाद अद्म पैरवी अदम हाजिरी मे खारीज किया जा चुका है अत: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTAct का कोई औचित्य नही रह जाता है इसलिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTAct भी खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति सैलग्न मूलवाद हो। उपखण्ड अधिकारी रैणी जिला- अलवर	

Scanned with CamScanner